न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 13/2018 (अपील)

GCMS No. 2018/00019

रामलाल वल्द हीरालाल जाति मीना निवासी ग्राम हेमलखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 28.11.2017 मि0नं0 200/2017 तहसीलदार रामगंजमण्डी कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

1. श्री महेन्द्र कुमार नागर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

दिनांकः–16.03.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ने ग्राम हेमलखेड़ी की भूमि खसरा नम्बर 175 की 0.32 हे0 किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 200/2017 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाकर 100/– रूपये का शास्ति व 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 28.11.2017 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 31.01.2018 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब देही एवं शहादत हेतु पर्याप्त अवसर दिये बिना ही नोटिस तामिल करवाये बिना एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने पर आदेश देने में भूल की है । अपीलान्ट का किसी भूमि पर कब्जा नहीं है, अपीलान्ट 96 वर्षीय वृद्व व्यक्ति है जो कोई कार्य नहीं कर सकता है तथा दुसरों के सहारेपर जीवन यापन कर रहा है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पूर्व में

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

भूमि से बेदखल करने बाबत कोई दखल नामा या निर्णय पत्रावली परनहीं है फिर भी सिविल कारावास का आदेश देने में त्रुटि की है । आदेश एकपक्षीय दिनांक 28.11.2017 की जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम मकर संकांती पर वारन्ट की पालना में गांव में तलाश करने आने पर पता चला जिस पर 15.01.2018 को नकल हेतु आवेदन पेश कर नकल प्राप्त की गई । इस प्रकार सर्वप्रथम जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । राजकीय अभिभाषक उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब देही एवं शहादत हेतु पर्याप्त अवसर दिये बिना ही नोटिस तामिल करवाये बिना एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने पर आदेश देने में भूल की है । अपीलान्ट का किसी भूमि पर कब्जा नहीं है, अपीलान्ट 96 वर्षीय वृद्व व्यक्ति है जो कोई कार्य नहीं कर सकता है तथा दुसरों के सहारे पर जीवन यापन कर रहा है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पूर्व में भूमि से बेदखल करने बाबत कोई दखल नामा या निर्णय पत्रावली पर नहीं है फिर भी सिविल कारावास का आदेश देने में त्रुटि की है । आदेश एकपक्षीय दिनांक 28.11.2017 की जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम मकर संकांती पर वारन्ट की पालना में गांव में तलाश करने आने पर पता चला जिस पर 15.01.2018 को नकल हेतु आवेदन पेश कर नकल प्राप्त की गई । इस प्रकार सर्वप्रथम जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है। जो सही है । अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 28.11.2017 के विरूद्व दिनांक 31.01.2018 को पेश की गई है । आदेश की प्रथम जानकारी वारन्ट की पालना में गांव में तलाश करने आने पर होना बताया है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है ।

7. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि रामलाल आत्मज हीरालाल जाति मीना निवासी हेमलखेडी तहसील रामगंजमण्डी

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

जिला कोटा ने ग्राम हेमलखेडी की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 175 की रकबा 0.32 हैक्टेयर में अनाधिकृत कब्जा कर फसल उड़द काश्त किया है। इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अर्न्तगत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बावत पश्चातवर्ती का नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखल करते हुए 100/– रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

8. अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना अंकित किया है तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 01 माह में प्रस्तुत कर दे तथा तहसीलदार कब्जा हटाए जाने की पुष्टि करले तो इस स्थिति में 90 दिवस के सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है । शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/3/21

(उज्ज्वल राठौड़)

जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner